न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,अनूपगढ़ जिला–अनूपगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–अजीत कुमार गोदारा कुमार(आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–130 / 2023

जी.सी.एम.एस.नं.–2023 / 329

सुखवीरसिंह पुत्र बोघासिंह जाति जटसिख निवासी चक–78 जी.बी तहसील व जिला अनूपगढ़

–––वादी

बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व अनूपगढ जिला–अनूपगढ़ (राज.)

–––**प्रतिवादी**

वाद पत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

::निर्णय:: **दिनांक–04 / 09 / 2024**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वाके चक–78 जी.बी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं–47 नम्बर सं.–287 / 428 का किला नं.–13 / 2 से 25 / 2 का कुल भूमि 3.163 हैक्टर नहरी / बारानी खातेदारी वादी के नाम से संयुक्त रूप से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिसमें वादी का 1055 / 3163 हिस्सा, इसी चक–78 जी.बी तहसील अनूपगढ़ मुरब्बा नं.–31 का पत्थर नं. –278 / 426 का किला नं.–2 ता 12 का कुल भूमि 2.633 हैक्टर संयुक्त रूप से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जमाबंदी की प्रमाणित प्रति संलग्न है। कृषि भूमि सयुक्त रूप से वादी के नाम सुखासिंह पुत्र बोघासिंह मे नाम से 1 / 2 हिस्सा, इसी चक–78 जी.बी तहसील अनूपगढ़ के मुरब्बा नं–41 पत्थर नं.–278 / 426 का किला नं.–13 / 25 का 3.201 हैक्टर व मुरब्बा नं.–30 पत्थर नं.–279 / 426 किला नं.–14 ता 19 / 2 का 1.316 हैक्टर कुल भूमि 4.517 हैक्टर नहरी मय खाला संयुक्त रूप से वादी के नाम सुखासिंह पुत्र बोघासिंह के नाम से 1 / 3 हिस्सा एवं इसी चक–78 जी.बी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–66 का पत्थर नं.–288 / 429 का किला नं.–1 ता 13 की कुल भूमि 3.164 हैक्टर नहरी खातेदारी भूमि संयुक्त रूप से वादी के नाम सुखासिंह पुत्र बोघासिंह के नाम से 1 / 3 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई थी। जिसमे वादी का 1 / 3 हिस्सा है जो निरन्तर वादी के अधिकार एवं अधिपत्य में चली आ रही है। वादी सह खातेदार कृषक है। वादी का सही वा वास्तविक नाम सुखवीरसिंह पुत्र बोघासिंह है लेकिन उसका घरेलू नाम सुखासिंह होने के कारण वादी को घर में व रिश्तेदारी में दोनों नामों सुखासिंह व सुखवीरसिंह के नाम से जानते व पुकारते थे वादी परिवार जो ग्रामीण परिवेश का था व वादी भी ग्रामीण परिवेश का है तत्पश्चात वादी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन सुखासिंह पुत्र बोघासिंह के नाम से ही दर्ज हुआ जो कि एक

(अजीत कुमार गोदारा)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

सद्भाविक एवं मानवीय भूल है। वादी का सही वा वास्तविक नाम सुखवीरसिंह पुत्र बोघासिंह है। वादी के पहचान पत्र, आधारकार्ड, राशनकार्ड जिनकी प्रतियॉं संलग्न वाद पत्र है में वादी का नाम सुखवीरसिंह पुत्र बोघासिंह ही दर्ज है लेकिन वादी के घर में वादी को उसके घरेलू नाम सुखा सिंह से पुकारते थे इसलिए वादी का नाम सुखासिंह दर्ज करवा दिया था जबकि वादी का सही वा वास्तविक नाम सुखवीरसिंह ही है इस प्रकार सुखासिंह व सुखवीरसिंह वादी का ही नाम है तथा वादी को इन दोनों नामों से ही जाना व पुकारा जाता है। वादी जो कि ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है। वादी को पूर्व में उक्त त्रुटि का कतई ज्ञान नही था अब वादी उक्त कृषि भूमि पर ऋण की पत्रावली तैयार करवाने के संबंध में अरसा 15 दिन पूर्व पटवारी हल्का से मिला तो उन्होंने रिकॉर्ड देखकर बताया कि आपका यानि सुखवीरसिंह का नाम दर्ज नही बल्कि आपका नाम रिकॉर्ड मे सुखासिंह दर्ज है। जिस पर वादी ने पटवारी हल्का को बताया कि उसका सही नाम सुखवीरसिंह है और घर पर उसे उसके घरेलू नाम सुखासिंह के नाम से बुलाते है ओर सुखासिंह व सुखवीरसिंह दोनों नाम मेरे ही है तो पटवारी हल्का द्वारा उक्त त्रुटि को दुरूस्त करवाने के लिए माननीय न्यायालय में चाराजोई करने के लिए कहा जिस पर वादी तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़ के समक्ष उपस्थित हुआ तो उन्होंने कहा कि सक्षम न्यायालय में चाराजोई करें बस यही बिनाय दावा एवं बिनाय मुखासमत वाद पत्र है। वादी का सही व वास्तविक नाम सुखवीरसिंह पुत्र बोघासिंह है लेकिन सहबन से वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में उसका घरेलू नाम सुखासिंह दर्ज हो गया है जो एक सद्भाविक एवं माननीय भूल है वादी के राजस्व रिकॉर्ड एवं अन्य दस्तावेजात मे नाम अलग–अलग होने के कारण वादी को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड मे वादी का नाम गलत रूप से सुखासिंह दर्ज है और अन्य आवश्यक समस्त दस्तावेज निर्वाचन आयोग के पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशनकार्ड व अन्य दस्तावेजात में वादी का नाम सुखवीरसिंह दर्ज है। जिससे वादी को भविष्य में अपने हिस्सा की कृषि भूमि के संबंध में बैंक इत्यादि से लोन आदि लेने में वादी को काफी दिक्कत एवं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए भी न्यायहित में राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी मे सहबन से गलत दर्ज हुए नाम को दुरूस्त किया जाकर सही नाम दर्ज किया जाना आवश्यक है। ताकि भविष्य में वादी को दो अलग–अलग नाम दर्ज होने के कारण किसी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े और वादी अपने सही व वास्तविक नाम सुखवीरसिंह के नाम से ही अपनी उक्त कृषि भूमि का उपयोग उपभोग कर सके इसलिए वादी माननीय न्यायालय से घोषणा करवाने का विधिक अधिकारी एवं दावेदार है फलस्वरूप वादी को माननीय न्यायालय की शरण में आना पड़ रहा है।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार अनूपगढ़ से जवाब स्टेट प्राप्त किया गया। जबाब स्टेट तहसीलदार (भू.अ.) से प्राप्त रिपोट मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी अनूपगढ़ चक–78 जी.बी में मुरब्बा नं.–47 पत्थर सं.–287/428 कुल भूमि 3.163 हैक्टर, व चक–78 जी.बी मुरब्बा नं.–31 का पत्थर नं.–278/426 कुल भूमि 2.633 हैक्टर, व चक–78 जी.बी मुरब्बा नं.–30 का पत्थर नं.–279/426 कुल भूमि 4.517 हैक्टर, व चक–78 जी.बी मुरब्बा नं.–66 पत्थर नं. –288/429 कुल भूमि 3.164 हैक्टर नहरी/बारानी भूमि मुस्तरफा खाता में वादी सुखासिंह पुत्र

(अजीत कुमार गोदारा)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

बोघासिंह जाति जटसिख खातेदार दर्ज रिकोर्ड है। चक–78 जी.बी अन्य मोतविरान व्यक्तियो से कि गयी जानकारी अनुसार वादी का सही नाम सुखवीरसिंह पुत्र बोघासिंह ही बताया गया, एवं राजस्व दर्ज नाम सुखासिंह पुत्र बोघासिंह को सही कर सुखवीरसिंह पुत्र बोघासिंह किया जाना उचित बताया गया।

बहस सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मेरे द्वारा मनन किया गया। तहसीलदार (भू0अ0) अनूपगढ़ द्वारा प्राप्त रिपोर्ट कमाकः–भू.अ. /2024/2357 दिनांक–19 जुलाई 2024 के आधार पर वादी का नाम सुखासिंह पुत्र बोघासिंह के स्थान पर सुखवीरसिंह पुत्र बोघासिंह दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अत एवं वाद वादी बहक वादी विरूद प्रतिवादी स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी बहक वादी विरूद प्रतिवादी स्वीकार किया जाकर सयुक्त खाता की कृषि भूमि वाके चक–78 जी.बी में मुरब्बा नं.–47 पत्थर सं.–287/428 कुल भूमि 3.163 हैक्टर, व चक–78 जी.बी मुरब्बा नं.–31 का पत्थर नं.–278/426 कुल भूमि 2.633 हैक्टर, व चक–78 जी.बी मुरब्बा नं.–30 का पत्थर नं.–279/426 कुल भूमि 4.517 हैक्टर, व चक–78 जी.बी मुरब्बा नं.–66 पत्थर नं.–288/429 कुल भूमि 3.164 हैक्टर कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में **वादी का नाम सुखासिंह के स्थान पर सुखासिंह उर्फ सुखवीरसिंह का अंकन किया जावें।** प्रतिवादी तहसीलदार अनूपगढ़ को उक्त आदेश को राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करने हेतु तहरीर अलग से जारी हो।

निर्णय आज **दिनांक–04/09/2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजीत कुमार गोदारा)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़